

सहायक कलेक्टर

मुकाम SDO वायतु

गाँव पंचायत मयो की बणी

बनाम स्वयं सिंह वगैरे

कसम मुकदमा नं० 53, 188 RTA नं० 197/2020 सन् 2020

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इम हुकम की तामील में जारी हुए
9/10/2020	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>रिण्काराम मिश्रा</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/ब्यद/अपील धारा <u>53, 188 RTA</u></p> <p>राजस्थान कायदाकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिक्रिदी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>21/10/2020</u> को पेश हो।</p> <p><u>विजयलक्ष्मी</u> सहायक कलेक्टर (SDO) वायतु</p>	
21/10/2020	<p>वादी वकील उपस्थित/उपस्थित संख्या - 1 से 6, 9 से 17 व 20 की कोर्ट से वकील की जगह गौडारा द्वारा बदलावनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या - 1 से 6, 9 से 17 व 20 के अधिकतर जवाब पेश नहीं करना चाहते हैं किन्तु जवाब बनू किया जाता है। प्रतिवादी संख्या - 7, 8, 18, 19, 21 व 22 के सम्पन तामील बुद्धा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या नं० 18, 19 व 21 का बजुद तामील अनुपस्थित न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5-45 PM पर लगाई गई। प्रतिवादी स्वयं को उन्ही कोर्ट से कोई अधिकतर उपस्थित नहीं हुआ। लिखाजा प्रतिवादी संख्या नं० 18, 19 व 21 के विरुद्ध उठतला कार्यवाही प्रारम्भ के लक्ष्य जाती है। वादी के अधिकतर की रडप्रेसिड वटस चुनी गई। वादी का पत्र कोर्ट में बस प्रसार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या - 1 से 20 की संयुक्त प्यारोडरी भूमि योत मोजा - मडो की ठानी पटवार मंडल - रतेह तहसील - गिड़ा जिला - बाइपेट में</p>	<p>पत्रावली पेश करी करनी चाहिए। वादी के पत्र</p>

विजयलक्ष्मी
सहायक कलेक्टर
(SDO) वायतु
10.2020

खसरा नम्बर- 638 रकबा- 92.03 बीघा की आई ईई ई, उक्त विवाहित भूमि में जारी था 11/160 वॉं हिस्सा तथा दोष हिस्सा परिवारी संख्या- 1 से 20 का पेशकश यावेदारी था है। इसी हिस्से के माफिक जारी एवं परिवारी संख्या- 1 से 20 विवाहित भूमि पर आविज है तथा रजवासी गठिमें यावत पञ्चायत व गोंडे बने हुए है। तथा जारी एवं परिवारी गणों के मध्य बाराही रूप से बंटाव किया हुआ है। विवाहित भूमि के जारी व परिवारी गणों के मध्य राजस्व रेड में हिस्से खुले हुए है। मांके पर नकशा में जेत के हिस्से को लेकर विवाद रहता है। तथा जेत के सेगे को लेकर भी विवाद रहता है। एवम परिवारी गण बिना कटवारे किसे हुए भी प्रजननी व्यक्तियों को विधिगत भू. भाग वेंचान करने पर उत्तर है। इसलिए जारी डारा यह बंटाव का वाद पेश किया गया है। जारी गण का वाद डर्ज रजिस्टर किया जाइ परिवारी गणों को जरिये सम्मन चलन किया गया। परिवारी संख्या- 1 से 6, 9 से 17 व 20 की आई से वहील भी जगदीश गौडारा द्वारा बहालातनामा पेश किया गया जिनकी कोर से उनके अधिकारता जबाब पेश नहीं करना चाहते हैं जिनका जबाब बन्द किया गया। परिवारी संख्या- 7, 8, 18, 19 व 21 वाकजुड तामिल अनुपस्थित रहे जिनके विरुद्ध एडवकाटा डार्मवाही अमल से लाई गई जारी वहील की एडवकाटा बटल सुनी गई पतावली व पंजावली के सेलमन राजस्व रेड का गंठनता पूर्वक डवलोकन किया गया। वाद डवलोकन जारी का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाइ विवाहित आराजी मांजा-मडी की टाणी पटवार मण्डल-रतेकु तहसील- गिड़ा के डबेत खसरा नम्बर- 638 रकबा- 92.03 बीघा की भूमि में जारी था 11/160 वॉं हिस्सा की भूमि का मांका उठजा अनुसार बाई मिश्र एंड वाडवड बंटाव उत्साव तैयार करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को डमिशनर मिश्रकर किया जाइ कोरेशा दिया जाता है कि जारी के 11/160 वॉं हिस्सा की भूमि का बाई मिश्र एंड वाडवड बंटाव

दिनांक 10.2.2020

13/11/2020

खि हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------	---------------------------------	---

प्रस्ताव तैयार किया जाकर इस न्यायालय में भिजाया है। डिग्री पत्र जारी होकर पत्रावली विभाजन प्रस्ताव ई इन्तजार में दिनांक 17/11/2020 को प्रेषित है।

(Signature)
21.11.2020

17/11/2020

वादी वकिल रूप। तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त करी हुका है पीढासीन आधिकारी पंचायती बाण-ग्राम में जास्त होने के प्रस्तावली आगामी दिनांक 4-1-2021 को प्रेषित है।

4-1-2021

वादी वकिल व परिचारी वकिल रूप। तहसीलदार गिडा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली डिग्री जमा। वादी व परिचारी वकिल की विभाजन प्रस्ताव पर ई प्रस्ताव पर बहस सुनी गई, तहसीलदार गिडा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से दोनों वादिल सहमत है। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्तावों के स्वीकार कर पक्षकारों के मध्य कि प्रस्ताव से विभाजन किया जाना है।

क्र.सं.	नाम खालेदार	शाम कानाम	अ.नं.	रकबा	हिस्सा	कुल
1.	शाम पंचायत मरौं की दानी	मरौं की दानी	638	6.07	का.नं.	0.38
2.	रामकर्मिण्ड पुत्र जमरामिण्ड, साधर कंगल फली जमरामिण्ड, पर्वरामिण्ड, चामरामिण्ड, डुंगरामिण्ड ईर अकुरामिण्ड पि. सांगरामिण्ड 369/1716 पवनकर फली चामरामिण्ड 92/1716	मरौं की दानी	638	85.16	का.नं.	5.15

करमिण्ड पुत्र चामरामिण्ड 65/1716
अकुरामिण्ड पुत्र अकुरामिण्ड 174/1716

(Signature)
सहायक कमिश्नर (SDO) अयत

—! लगाता!—

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नया
अहक
हुक्म की
में जारी

सवामें

बल्लामासिंह, कृष्णसिंह सिं.
 सादुलसिंह 337/1716, खेतसिंह
 डैवीसिंह सिं. बागसिंह 107/1716
 मोरकण पत्नी बागसिंह 61/1716
 दुर्गासिंह पुत्र हेमसिंह 174/1716
 जौगसिंह पुत्र श्रीजराजसिंह 30/1716
 खेतसिंह, डैवीसिंह, बाबूसिंह,
 जेमरसिंह सिं. श्रीजराजसिंह
 श्रवती श्रवती पत्नी श्रीजराजसिंह 307/1716
 श्रीम राजपूत साठ उहे खातदा
 रहन :- स्वयंभुसिंह पुत्र जवारसिंह
 साभरडेव पत्नी जवारसिंह, पर्वतसिंह
 ग्रामसिंह, हुंगसिंह उर्फ बाबूसिंह सिं.
 सांगसिंह का दि. R.1068 शाजा मवाहु
 पदसिंह के पत्र में।

उपरोक्तानुसार पक्षकारों के
 मध्य विभाजन किया जाता है। तदनुसार
 गिना निर्वाह अनुसार राजस्व वेर्ड में
 धमाल - इरामद के दिशी पकी जाती है।
 पत्रावली धमाल शुभा हो उरि नमकर
 से कम हो, डाखिल इरामद हो।

(Signature)
 सहायक कलक्टर
 (SDO) मवाहु